समाहरणालय गोपालगंज
(जिला कल्याण शाखा)

पत्रांक.....845..... दिनांक 24/09/2016

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2015—16 में प्रवेशिकोतर पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को स्वीकृत शिक्षण शुल्क की राशि RTGS के माध्यम से भेजने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन के साथ कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र—छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अनुरक्षण भत्ता की राशि की स्वीकृति जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा प्रदान की गई है।

अतः निम्नलिखित छात्र—छात्राओं के सूची में उनके नाम के सामने अंकित अनुरक्षण भत्ता छात्र के खाते में एवं शिक्षण शुल्क की राशि संस्थान के खाते में RTGS के माध्यम से भेजी गई है। यदि उक्त छात्र—छात्राओं के द्वारा पूर्व में ही शिक्षण शुल्क का भुगतान कर दी गई है, तो शिक्षण शुल्क की राशि छात्र—छात्राओं को A/C Payee चेक के माध्यम से भुगतान कर दी जाये। अगर छात्रों को किसी अन्य योजना से शिक्षण शुल्क प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति में उनके शिक्षण शुल्क की राशि का भुगतान छात्रों को नहीं करेगें, अन्यथा इसकी पूर्ण जवाबदेही आपपर होगी। शिक्षण शुल्क छात्रों की देय शुल्क से समायोजन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र निबंधित डाक से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।

अनुलग्नक :— छात्र/छात्राओं की सूची।

विश्वासभाजन

24/9/16

जिला कल्याण पदाधिकारी
गोपालगंज।